सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
लिंक रोड नं. 3, भोपाल – 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्र./VC/ दिनांक :

प्रति,
समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 22/07/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक 22/07/2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय तथा जिलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

1. भारत सरकार की SMILE (Beggary) Scheme

भारत सरकार की **SMILE (Beggary) Scheme** अंतर्गत चयनित जिलों में भिक्षुक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान **उज्जैन, खण्डवा (ओंकारेश्वर), भोपाल (उदयगिरी), रतलाम, सतना (चित्रकूट), अनूपपुर (अमरकंटक), निवाड़ी (ओरछा), खरगोन (महेश्वर) एवं ग्वालियर** में केन्द्र प्रारंभ नहीं होने अथवा संस्था चयन/भवन चयन की कार्यवाही लंबित पाई गई। संबंधित जिलों को संस्था चयन, अनुबंध, भवन उपलब्धता एवं सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर पुनर्वास केन्द्र प्रारंभ करने तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

2. ट्रांसजेंडर योजना (गरिमा गृह)

भारत सरकार की ट्रांसजेंडर योजना अंतर्गत भोपाल, जबलपुर एवं इन्दौर में संचालित गरिमा गृह की समीक्षा की गई तथा योजनांतर्गत समस्त गतिविधियों का प्रभावी संचालन एवं पात्र ट्रांसजेंडर हितग्राहियों को लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। समस्त जिला अधिकारीयों को ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 के बारे में अवगत कराया गया I

3. जिला स्तरीय समितियां

माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों एवं बोर्ड की जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित Google Sheet में अद्यतन जानकारी समय-सीमा में अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

4. MP Geoportal Mapping / Geotagging

- विभाग अंतर्गत संचालित समस्त संभागीय कार्यालय / जिला कार्यालय / शासकीय विशेष विद्यालय /

विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ / जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) आदि के भवन जिससे विशेषकर Latitude एवं Longitude की जानकारी Google Form (https://forms.gle/8mxLeNPLmjLj5Wxz9) में दर्ज कराया जाना था, जिससे कि MP Geoportal पर सही मैपिंग MPSEDC की GIS Team द्वारा की जा सके। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला BHOPAL, SAGAR, GWALIOR, UJJAIN, CHHATARPUR, CHHINDWARA एवं BALAGHAT में संबंधित संस्थाओं की जानकारी गूगलफॉर्म में अभी दर्ज होना लंबित है। निर्देशित किया गया कि पूर्व में इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए विभाग अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालयों/संस्थाओं के भवनों की Latitude एवं Longitude की जानकारी Google Form पर यथाशीघ्र दर्ज करना सुनिश्चित करें।

5. विभिन्न पोर्टलों यथा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, दिव्यांग विवाह एवं विवाह पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा तथा विभागीय पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को Digital Life Certificate (DLC) जारी करने की प्रगति की समीक्षा की गई :-

- पेंशन पोर्टल पर निर्णय हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जिला BHOPAL, BHIND, SATNA, DATIA एवं CHHATARPUR में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाए तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। समय-सीमा का पालन न करने वाले संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
- पेंशन पोर्टल पर DSC Sign हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला SHIVPURI, KHANDWA, DHAR, SIDHI एवं BALAGHAT में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने के तत्काल उपरांत DSC Sign की कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।
- विभागीय पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को माह मई, 2026 में हुए असफल भुगतान की समीक्षा के दौरान जिला INDORE, REWA, SAGAR, UJJAIN, JABALPUR, BHOPAL, SIDHI, GWALIOR एवं MAUGANJ में सर्वाधिक असफल भुगतान पाए गए। साथ ही जिला INDORE, DINDORI, ALIRAJPUR, MANDSAUR एवं DHAR में 06 माह से सतत् असफल भुगतान का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि असफल भुगतान के प्रत्येक प्रकरण का कारणवार परीक्षण कर उनका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से मृत हितग्राहियों की समय पर पहचान कर उनके नाम पेंशन पोर्टल से विलोपित (Delete) किए जाएँ। यदि किसी मृत हितग्राही का नाम असफल भुगतान की सूची में पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (SSO) उत्तरदायी होंगे। मृत/अपात्र हुये व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान होने पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा में जिला DINDORI, KHANDWA, BALAGHAT, CHHINDWARA एवं SAGAR में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- दिव्यांग विवाह योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा में जिला CHHINDWARA, MANDSAUR, DHAR, VIDISHA एवं MORENA में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार समय-सीमा में स्वीकृति एवं भुगतान

की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में जिला RAISEN, UJJAIN, CHHATARPUR, CHHINDWARA एवं PANDHURNA में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। निर्देशित किया गया कि समस्त लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राओं के अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए I
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिला SAGAR, VIDISHA, CHHINDWARA, CHHATARPUR एवं KATNI में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का समय-सीमा में परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरणों पर e-Sign की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पात्र हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा भुगतान की प्रविष्टि विवाह पोर्टल पर दर्ज की जाए।
- कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत लाभ वितरण एवं भुगतान संबंधी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला SAGAR, SATNA, BALAGHAT, VIDISHA एवं UMARIA में सर्वाधिक लाभ हेतु लंबित पात्र हितग्राही पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि विवाह पोर्टल पर लाभ वितरण एवं पात्र हितग्राहियों की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में दर्ज करना सुनिश्चित करें तथा लंबित भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाए।

- पेंशन योजनान्तर्गत 4 लाख हितग्राहियों का DBT enabled नहीं है I समस्त हितग्राहियों का DBT enabled करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिए गए
- विभागीय पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों के Digital Life Certificate (DLC) जारी करने की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला MANDSAUR, BHOPAL, SHIVPURI, BALAGHAT एवं DATIA में DLC पंजीयन की प्रगति अपेक्षाकृत कम है तथा बड़ी संख्या में हितग्राहियों का DLC पंजीयन लंबित है। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चलाकर शेष हितग्राहियों का Digital Life Certificate मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शीघ्र पंजीकृत कराया जाए। तकनीकी समस्या होने की स्थिति में संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए Troubleshooting निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- समस्त जिलों को भारत सरकार की NSAP अंतर्गत 3पेंशन योजनाओं में SNA-SPARSH पोर्टल के माध्यम से भुगतान की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया I

6. e-Office एवं CRUसंचालनालय से पत्राचार केवल e-Office के माध्यम से CRU (Central Receipt Unit) को प्रेषित किए जाने संबंधी निर्देशों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 22.07.2026 की स्थिति में जिला छतरपुर, ग्वालियर, आगर-मालवा, विदिशा, दतिया, सीधी, नरसिंहपुर एवं अलीराजपुर द्वारा ई-मेल के माध्यम से Ink Sign एवं Manual Dispatch कर संचालनालय को पत्र प्रेषित किए गए हैं। इस संबंध में संबंधित जिलों को पुनः निर्देशित किया गया कि संचालनालय को समस्त पत्राचार केवल e-Office के माध्यम से CRU (Central Receipt Unit) को ही प्रेषित किया जाए तथा ई-मेल अथवा Manual Dispatch के माध्यम से पत्राचार न किया जाए।

समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ जिलों द्वारा e-Office पर CRU के माध्यम से एक ही पत्र एक से अधिक बार प्रेषित किया जा रहा है। विशेष रूप से जिला नीमच द्वारा दिनांक 20.07.2026 को एक ही गोपनीय प्रतिवेदन दो बार प्रेषित किया गया। साथ ही अनेक जिलों द्वारा e-Office पर प्रेषित पत्रों में

Subject अंकित नहीं किया जा रहा है। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि e-Office पर पत्र प्रेषित करते समय प्रत्येक पत्र में स्पष्ट Subject, आवश्यक Attachment, File Number एवं अन्य आवश्यक विवरण अंकित करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें तथा किसी भी पत्र की अनावश्यक डुप्लीकेट Dispatch न की जाए।

7. "नशा से दूरी है, जरूरी" अभियान की प्रगति की समीक्षा :-

सामाजिक न्याय एवं पुलिस विभाग के समन्वय से संचालित "नशा से दूरी है, जरूरी" अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला मऊगंज, धार, सिंगरौली, गुना, दमोह, सतना एवं भोपाल में अभियान की प्रगति अपेक्षाकृत कम रही। विशेष रूप से जिला दमोह (07), सतना (05) एवं भोपाल (01) में प्रगति अत्यंत न्यूनतम पाई गई। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि अभियान अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए जन-जागरूकता कार्यक्रमों, नशामुक्ति संबंधी गतिविधियों जैसे (नुक्कड नाटक, चित्रकला/रंगोली,स्लोगन, दीवार लेखन, मैराथन/वाकाथन, मानव श्रृखला/ड्रग अवेयरनेस रन , लघु फिल्म /नशे के दुष्परिणामों पर आधारित सामग्री, नशा छोड चुके व्यक्तियों द्वारा उनकी मोटिवेशनल स्टोरी/प्रेरणादायक सत्र ,आटो/बस/शासकीय परिवाहनों पर अभियान के पोस्टर चस्पा, सोशल मीडियां जैसे- Twitter, Facebook, Instagram पर नशामुक्ति पर आधारित रील्स, शार्ट फिल्मस, पोस्ट इत्यादि एवं NMBA पोर्टल पर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित समस्त गतिविधियों की प्रविष्टियां किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अभियान अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं प्रगति की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

Digitally signed by
Dr Shravan Kumar Pachauri
Date: 28-07-2026 17:31:07

(डॉ श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
(म.प्र.)

क्र./VC/428162/I/1197924/2026 दिनांक :28-07-2026

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
6. समस्त जिला समन्वयक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी– सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
8. समस्त समग्र संयोजक – सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।

(डॉ श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
(म.प्र.)